



कार्यालय नगर परिषद, खगौल

website-nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/CitizenHome.html

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक.....1001.....

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, खगौल, पटना।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

खगौल, पटना / ..15.. /10.... / 2018

विषय:- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०. 751 / 13-14 में अंकित लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि नगर परिषद, खगौल से सम्बंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०. 751 / 13-14 में अंकित लम्बित (वितीय वर्ष 2012-13) कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, खगौल, पटना।



कार्यालय नगर परिषद्, खगौल

nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/CitizenHome.html

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक.....1001..... दिनांक.....15/10/2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।

सेवा में,

उप महालेखाकार,
सामाजिक प्रष्ठेत्र-1
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय,
बिहार, पटना।

विषय:- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०:- 751/13-14 में अंकित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद् खगौल से सम्बंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं०-751/13-14 में लंबित (वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2014-15) कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

क्र.सं.	अंकेक्षण दौरान जमा राशि आपती	वस्तुस्थिति / अनुपालन
10(क)	कम जमा नहीं जमा / 11 736 068 पृष्ठ सं० 08 सं० 23 15	उक्त के आलोक में कहना है कि आपति के अधीन रखी गई राशि को विभिन्न कर संग्रहकों के द्वारा जमा करा दी गई है। जिसका साक्ष्य इसके साथ संलग्न किया गया है अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
10 (ख)	अंकेक्षण दौरान जमा राशि / 49955 पृष्ठ सं० - 24	अंकेक्षण आपती के आलोक में 49955 खाता सं०-1283000100090098 में दिनांक:-5.06.13 को जमा करा दी गई थी जिसका साक्ष्य इसके साथ संलग्न किया जा रहा है अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
11.	मुख्य भवन कर पृष्ठ सं० 25 सं० 52 15	आपती के आलोक में कहना है कि होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें सभी बकायेदारों का अधिनियम की धारा 158 के नोटिस दी जा रही है समाचार पत्रों में बड़े बकायेदारों की सूची प्रकाशित की गई है जिसमें से कुछ सरकारी भवनों से राशि की प्राप्ति भी हुई है इसमें सबसे बड़ी बकायेदारों की सूची में रेलवे है जिससे भी वसूली का प्रयास किया जा रहा है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
12	दुकान एवं भूखंड का बकाया किराया / 422586.00	आपती के अधीन रखी गई राशि 422586 रूपया जिसे कि भिन्न-भिन्न कटरा, दुकान भूखण्ड एवं सामुदायिक भवन से वसूली कर ली गई है जिसका छायाप्रति संलग्न किया गया है इसके अलावा दुकानों एवं भूखण्ड से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, खगौल


13	सरकारी भवनों के विरुद्ध बकाया भवन कर/2000587.00 पत्र सं 49 दि 52 15	सरकारी भवनों के विरुद्ध बकाया भवन कर में कुल मा0 1629266 रुपये की वसूली कर ली गई है जिसका साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है शेष के लिए नोटिस किया गया है जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिखा दिया जायगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
14(i)	मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं राशि 18196.00	उक्त के आलोक में कहना है कि निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 (घ) के अनुसार अचल सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी लीज एग्रीमेन्ट जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक एवं 1 वर्ष की अवधि से अधिक हो का निबंधन कराना अनिवार्य है। नगर परिषद खगौल में बन्दोवस्त की गई सैरात की अवधि चूकि 1 वर्ष से अधिक नहीं थीं। अतः इसका निबंधन नहीं कराया गया था अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
(ii)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य आयकर को संबंधित विभाग में जमा नहीं किया जाना राशि 205091.00	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद, खगौल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इस राशि को सम्बंधित विभागों में जमा नहीं की जा सकी थी परन्तु इस राशि को संबंधित विभागों में जमा करा दी गई है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें।
15	मोबाईल टावरों पर बकाया शुल्क राशि 700000.00 पत्र सं 53 दि 57 15	माननीय उच्च न्यायलय में मोबाईल टावरों से टैक्स की वसूली संबंधित मामला के लंबित होने के कारण वसूली हेतु दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। विभागीय पत्रांक 4988 दिनांक 01.08.2016 के आलोक में वसूली हेतु नये सिरे से मोबाईल टावरों की सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संलग्न।
16	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिक भुगतान	उक्त के आलोक में कहना है कि अंकेक्षण के दौरान उठाये गये विन्दुवार आपत्ति को सुधार कर लिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
17	श्रम आयकर की नहीं कटौती राशि 86989.72 पत्र सं 58 दि 60 15	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद, खगौल में संबंधित दक्ष कर्मचारी नहीं होने के कारण श्रम आयकर की कटौती नहीं की जा सकी थी परन्तु अब श्रम शेष की कटौती अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में की जा रही है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है तथा इसे अगले अंकेक्षण में भी दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें।
18	कबीर अंतेष्ठी/योजना/4500 पत्र सं 61 दि 62 15	संबंधित कर्मचारी के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करा दिया गया है जिसका साक्ष्य अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
19	प्रशासनिक भवन निधि का अवरोधन 38,79,075.00 पत्र सं 63 दि 68 15	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद खगौल के पत्रांक सं0.1206 दिनांक 0.12.16 के माध्यम से प्रशासनिक भवन निधि को नगर विकास एवं आवास विभाग को वापस कर दी गई है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
20	अप्रस्तुत रसीद सं0. 1901-2001 2001-2100	उक्त के आलोक में कहना है कि श्री शैलेश जी को रसीद सं0. 1901-2001 एवं 2001-2100 जारी किया गया था लेखा परीक्षा दल के समझ पस्तुत भी किया गया था जिस


	पर अंकेक्षण दल के द्वारा जाँच निशान भी लगाया गया है। जिसका साक्ष्य भी संलग्न किया जा रहा है। जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
21	ड्राफ्ट की राशि बैंक द्वारा नगर परिषद्, खाता में जमा नहीं किया गया उक्त के आलोक में कहना है कि दो डिमांड ड्राफ्ट सं०. 020063 दिनांक 28.11.2012 राशि 30000/- (तीस हजार) एवं ड्राफ्ट सं०. 020061 दिनांक 28.11.2012 राशि 33000/- जिसे कि भारतीय स्टेट बैंक खाता सं०. 31073261550 में दिनांक 27.12.2012 को जमा किया गया था जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है एवं इसे अगले अंकेक्षण में दिखादी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
22	सोलर लाईट कय में अनियमितता उक्त के आलोक में कहना है कि अंकेक्षण के दौरान उठाये गये विन्दुवार आपति का ईकाई कर अनुपालन विवरण इस प्रकार है।
(i)	संचिका में तुलनात्मक विवरणी नहीं पायी गयी उक्त के संदर्भ में कहना है कि सोलर लाईट कय से सम्बंधित तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई है जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(ii)	संचिका में इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। उक्त के संदर्भ में कहना है कि नगर परिषद के विभिन्न वार्ड में लगाये गये सोलर लाईट का इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट कार्यालय केद्वारा प्राप्त किया गया था। जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका में दिये गये अंकेक्षण टिप्पणी को विलोपित किया जाये।
(iii)	सोलर लाईट ठीक से काम कर रहा है। इस संबंध में किसी तकनीशियन का रिपोर्ट नहीं पाया गया उक्त के संदर्भ में कहना है कि सोलर लाईट सही से काम कर रहा है। कि नही इस संबंध में तकनीशियन की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी इसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(iv)	सोलर लाईट का कय समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जाना चाहिए अथवा इसके कय अखबार में विज्ञापन निकाल कर निविदा आमंत्रित करना चाहिए तत्पश्चात तुलनात्मक विवरणी तैयार कर कय समिति के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर के कय की जायेगी परन्तु नगर परिषद उक्त के सम्बंध में कहना है कि यह बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया था कि आस-पास में कही किसी भी विभाग में सोलर लाईट से सम्बंधित कार्य किया गया है उनसे प्रत्राचार कर कार्य को कराया जाये। इस संदर्भ में कार्यालय नगर परिषद के द्वारा विहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० से आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(v)	कय किये गये सोलर लाईट की प्रविष्टी भंडार पंजी में नहीं किया गया वाटी गई नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में कहना है कि वर्क आर्डर दिया गया था डोक्यूमेन्ट जमा करते समय शपथ पत्र दी थी जिसमें गारंटी एवं वारंटी की सभी शपथ पत्र शामिल किया गया था। जिसकी जाँच हमारे कार्यालय के कर्मियों के द्वारा लगाये गये सोलर लाईट की गिनती कर पूरी की गई। इसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(vi)	उपर्युक्त कय बोर्ड से पारित है कि नही उक्त आलोक के संदर्भ में कहना है कि सोलर लाईट कय

	यदि है तो बोर्ड का Procceding Book प्रस्तुत किया गया।	बोर्ड में ली गई बैठक के प्रस्ताव सं049 दिनांक06.12.2010 के को पारित कर दी गई थी जिसका Procceding Book का साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(vii)	सेलर लाईट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं इस सम्बंध में स्थानीय नागरिक/जन प्रतिनिधि का प्रतिवेदन संचिका नहीं पाया गया।	उक्त के संदर्भ में कहना है कि सोलर लाईट सही से काम कर रहा है कि नहीं इस सम्बंध में भी जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है जिसका साक्ष्य इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(viii)	क्या सभी सोलर लाईट वर्तमान में सही ढंग से काम कर रहे हैं, यदि नहीं तो उसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।	उक्त के संदर्भ में कहना है कि सभी सोलर लाईट वर्तमान में सही ढंग से काम कर रहे हैं इस संदर्भ में जनप्रतिनिधि से ससमय सम्पुष्टि हेतु प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता रहा है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
(ix)	सोलर लाईट के भौतिक निरीक्षण हेतु समक्ष तय कर लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया।	उक्त के आलोक में कहना है कि लेखा परीक्षा दल के द्वारा भौतिक निरीक्षण से सम्बंधित कोई सूचना कार्यालय को मौखिक या लिखित में नहीं दी गई इसलिए इस संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सूचित नहीं किया गया था अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें।
(x)	आपूर्ति आदेश दोनो फर्म को खंड-खंड में दिया गया।	उक्त के आलोक में कहना है कि कार्यालय नगर परिषद खगौल के द्वारा तुलनात्मक विवरणी में न्यूनतम दर विहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 का पाया गया था जिसके साथ कार्यालय के द्वारा एकरारनामा भी किया गया था। और आपूर्ति आदेश भी केवल एक ही को दिया गया है। जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका को विलोपित करने कि कृपा की जाए।

विश्वासभाजन


नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, खगौल, पटना।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, खगौल